न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 73/2025(GCMS : 2025/90)

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड, 201, 202 द्वितीय तल साउथ एण्ड स्कवायर मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर 302020 **स्थानीय ााखा** नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार

बनाम

1. **श्री रामकिशन** पुत्र श्री सोने लाल, निवासी शाक्य मुनि बुद्ध विहार मन्दिर के पास, वार्ड नं. 16, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335051 **अन्य पता** पट्टा संख्या 224/19/06/2013, सर्वे संख्या 76/8, वार्ड नं. 13, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर – 335051 (राज.)
2. **श्री प्रमोद कुमार** पुत्र श्री रामकिशन निवासी शाक्य मुनि बुद्ध विहार मन्दिर के पास, वार्ड नं. 13, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335051
3. **श्री भूपेन्द्र सिंह** पुत्र श्री रामकिशन निवासी शाक्य मुनि बुद्ध विहार मन्दिर के पास, वार्ड नं. 13, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335051
4. **उर्मिला** पत्नी श्री रामकिशन निवासी शाक्य मुनि बुद्ध विहार मन्दिर के पास, वार्ड नं. 13, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335051
5. **श्री विनोद कुमार** पुत्र श्री रामकिशन निवासी गउशाला के पीछे, वार्ड नं. 13, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335051
6. **दीपक शर्मा** पुत्र श्री रामकिशन निवासी मकान नं. 47, वार्ड नं. 14, गउशाला रोड,, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335051

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.03.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार मूण्ड ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 11.02.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण रामकिशन, प्रमोद कुमार, भूपेन्द्र, उर्मिला, विनोद कुमार एवं दीपक शर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 8.00/— लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.12.2018 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 22.10.2024 को 9,85,285/— रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी रामकिशन एवं उर्मिला द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 224/19/6/2013 सर्वे संख्या 76/8, वार्ड नं. 13,** रायसिंहनगर, **तहसील** रायसिंहनगर, **जिला श्रीगंगानगर — 335051, जिसके उत्तर दिशा में महिपाल, दक्षिण दिशा में सड़क, पूर्व दिशा में शीशपाल, पश्चिम दिशा में राम बाबू है, जिसका साईज 720.562 वर्गफुट है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** रामकिशन, प्रमोद कुमार, भूपेन्द्र, उर्मिला, विनोद कुमार एवं दीपक शर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 8.00/—लाख रूपये **(अखरे रूपये आठ लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी रामकिशन एवं उर्मिला ने अपनी अचल सम्पत्ति **पट्टा संख्या 224/19/6/2013 सर्वे संख्या 76/8, वार्ड नं. 13,** रायसिंहनगर, **तहसील** रायसिंहनगर, **जिला श्रीगंगानगर — 335051, जिसके उत्तर दिशा में महिपाल, दक्षिण दिशा में सड़क, पूर्व दिशा में शीशपाल, पश्चिम दिशा में राम बाबू है, जिसका साईज 720.562 वर्गफुट है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.12.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण [illegible] धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद [illegible] पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:10 IST
Reason: SelfAttested

Manju

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी रामकिशन एवं उर्मिला की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 224/19/6/2013 सर्वे संख्या 76/8, वार्ड नं. 13, रायसिंहनगर, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर – 335051, जिसके उत्तर दिशा में महिपाल, दक्षिण दिशा में सड़क, पूर्व दिशा में शीशपाल, पश्चिम दिशा में राम बाबू है, जिसका साईज 720.562 वर्गफुट है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.10.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 22.10..2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 23.10.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए हैं। इसके उपरान्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों राष्ट्रीय संदेश एवं इंडियन एक्सप्रैस में दिनांक 07.11.2024 को प्रकाशित करवाये हैं। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:10 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **रामकिशन एवं उर्मिला** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स **लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी रामकिशन एवं उर्मिला **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 224/19/6/2013 सर्वे संख्या 76/8, वार्ड नं. 13,** रायसिंहनगर, **तहसील** रायसिंहनगर, **जिला श्रीगंगानगर — 335051, जिसके उत्तर दिशा में महिपाल, दक्षिण दिशा में सड़क, पूर्व दिशा में शीशपाल, पश्चिम दिशा में राम बाबू है, जिसका साईज 720.562 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:10 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 19.0[illegible]2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर